

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मन्दसौर, मध्यप्रदेश

क्रमांक / मा0चि0 / 2022 /
प्रति,

5508

मन्दसौर, दिनांक :- 30/8/22

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

विषय :- मन्दसौर जिले के अंतर्गत Jio digital Fiber Pvt. Ltd द्वारा Gandhi Sagar Hydel – Border (Ratangarh) Route में ओ0एफ0सी0 लाईन डालने हेतु 0.2 हे0 (04 कि0मी0) वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/OFC/156036/2022)

—0—

विषयांतर्गत Gandhi Sagar Hydel – Border (Ratangarh) Route कुल लंबाई 04 कि0मी0 (0.2 हे0) (प्राप्त के0एम0एल0 अनुसार कक्ष क्रमांक 995 एवं 996 से होकर निकलती हैं) तक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन डालने हेतु प्रविश पोर्टल के संरक्षित क्षेत्र में कार्य से संबंधित पोर्टल पर भाग-01 एवं 02 की प्रविष्टि उपरांत प्रकरण क्रमांक-FP/MP/OFC/156036/2022 दर्ज हुआ है एवं हार्ड कॉपी इस कार्यालय को प्राप्त हुई। जाँच प्रतिवेदन अनुसार गांधीसागर हेडल – बॉर्डर (रतनगढ़) रूट गांधीसागर अभयारण्य के गेमरेंज गांधीसागर पश्चिम के वनक्षेत्र में जिओ 4जी कनेक्टिविटी ओ0एफ0सी0 लाईन डालने में निम्नानुसार वनक्षेत्र प्रभावित होकर व्यपवर्तित हो रहा है :-

क्र.	गेमरेंज	वनखण्ड आरक्षित	कक्ष क्रमांक	प्रभावित रकबा हे0 में
1	गांधीसागर पश्चिम	मेनपिछोर (आंशिक)	995,996	0.20

प्रकरण में यह उल्लेखनिय है कि प्रभावित होने वाली 0.2 हे0 वनभूमि के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन दिनांक 12.04.2022 के दिशा निर्देश एवं म0प्र0 राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 20 वी बैठक दिनांक 27.05.2021 में की गई अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 67 वी बैठक दिनांक 25.03.2022 से वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्वीकृति/अनुशंसा जारी की गई है।

अतः प्रकरण में प्रभावित होने वाली 0.2 हे0 वनभूमि की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की जाती है।


वनसंरक्षक
एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मन्दसौर